प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2173/1996

अपीलार्थीगण: गौतम चटर्जी एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 17-9-2012 को सूचीबद्ध ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

14-9-2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2173/1996

अपीलार्थीगण: गौतम चटर्जी एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थीगण की ओर से श्री पी.के. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री अरुण कोचर।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन दाण्डिक अपील

निर्णय

(17.9.2012)

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 131/1996 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.11.1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 498-ए एवं 304-बी के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक को केवल धारा 304-बी के अंतर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

2. वर्तमान प्रकरण में मृतका का नाम संगीता है, जो यहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 अर्थात् गौतम चटर्जी की पत्नी है। उनका विवाह दिनांक 29.01.1994 को संपन्न हुआ था तथा दिनांक 19.12.1994 को मृतका 80% जल गई थी और दिनांक 20.01.1995 को उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 मृतका का ससुर था जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 मृतका की सास है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई है। दिनांक 19.12.1994 को मृतका को 75% जलने के उपरांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिनांक 20.12.1994 को मृतका के विरुद्ध अपराध क्रमांक 587/94 के माध्यम से भा.दं.सं.

की धारा 309 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था तथा उक्त प्रकरण की विवेचना के पश्चात् दिनांक 20.01.1995 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 498-ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/25 दर्ज की गई। डॉ. हरेन्द्र शाह (अ.सा.-8) द्वारा मृतका का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श पी/12 के माध्यम से किया गया था तथा 20.12.1994 को उसका मृत्युकालिक कथन (अ-प्रदर्शित) लेखबद्ध किया गया था। मृतका की मृत्यु 04.02.1995 को हो गई तथा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 498-ए एवं 304-बी के अंतर्गत अपराध दर्ज किए गए। विवेचना के पश्चात्, उक्त अपराधों हेतु उनके विरुद्ध 25.03.1995 को अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने 14 साक्षियों का परीक्षण किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन भी लेखबद्ध किए गए जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध अधिरोपित आरोप से इंकार किया तथा अपने निर्दोष होने एवं प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में एक बचाव साक्षी अर्थात् महादेव (ब.सा.-1) का भी परीक्षण किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई है और इसलिए यह अपील केवल अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 3 के संबंध में होगी।

5. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह निवेदन है कि यद्यपि मृतका का मृत्युकालिक कथन 20.12.1994 को लेखबद्ध किया गया था, फिर भी जानबूझकर इसे आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि यह अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में था और अंततः उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर उक्त मृत्युकालिक कथन की प्रति अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को प्रदान की गई। उनके अनुसार, मृत्युकालिक कथन के अनुसार मृतका दुर्घटना के कारण जल गई थी जब वह मिट्टी का दीया बुझाने गई थी। उनका निवेदन है कि यद्यपि उक्त मृत्युकालिक कथन प्रदर्शित नहीं है, चूंकि यह अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में है, इसलिए उनके द्वारा इसका उपयोग सदैव किया जा सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों, जो **लल्लू सिंह वल्द जगदीश सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1996 एम.पी.एल.जे. 452)**, **भरत बनाम मध्य प्रदेश**

राज्य (1992 क्रि.लॉ.ज. 3218), **शत्रुघ्न एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1993 क्रि.लॉ.ज. 120)** और **भगवंतीबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002 (5) एम.पी.एच.टी. 346)** के मामले में हैं, पर अविलंब किया है। उनका निवेदन है कि घटना दिनांक 19.12.1994 को हुई थी जबकि मृतका की मृत्यु दिनांक 04.02.1995 को हुई और यद्यपि वह 45 दिनों से अधिक समय तक जीवित रही, अभियोजन द्वारा उसका केस डायरी कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है और यह अपने आप में दर्शाता है कि मृत्यु आकस्मिक थी। उनका निवेदन है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करे कि मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था और जब तक अभियोजन द्वारा यह तथ्य स्थापित नहीं किया जाता, अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 304-बी के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस निवेदन के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य**, जो **2005 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6470** में प्रकाशित है, तथा **शरद बिर्धीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य,** जो **ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622** में प्रकाशित है, पर अवलंब लिया गया है। उनका निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया एकमात्र साक्ष्य मृतका के निकट संबंधियों अर्थात् मृतका की माता, पिता एवं भाई का है और इसलिए इसकी अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उनका निवेदन है कि न्यायालय में दिए गए साक्षियों के कथनों में उनके पूर्व कथनों की तुलना में गंभीर विरोधाभास एवं लोप हैं और न्यायालय में साक्ष्य देते समय मृतका के संबंधियों ने अपने वृत्तांत को अतिशयोक्तिपूर्ण कर दिया है। उनका निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-25) से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे साक्षियों के कथन के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु उन कथनों को आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि साक्षियों द्वारा पूर्व में दिए गए कथनों को अभियोजन द्वारा जानबूझकर इस साधारण कारण से छिपाया गया है कि वे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के पक्ष में थे और इसलिए इसका लाभ अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को मिलना चाहिए क्योंकि संपूर्ण अभियोजन कहानी ही संदेहास्पद हो जाती है। उनका निवेदन है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 रेलवे में सेवारत था और वर्धा में निवास कर रहा था और इसलिए भिलाई में उसके द्वारा मृतका के साथ क्रूरता करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता का निवेदन है कि 20.12.1994 के अप्रदर्शित मृत्युकालिक कथन को प्रस्तुत न करना अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वे यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि इससे उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनका निवेदन है कि भले ही मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने वाले कार्यपालक

दंडाधिकारी को अभियोजन द्वारा अपने साक्षी के रूप में आहूत नहीं किया गया था, बचाव पक्ष के पास उन्हें बचाव साक्षी के रूप में बुलाने का पर्याप्त अवसर था। साक्षियों अर्थात् सुनील बरन राय (अ.सा.-1), श्रीमती अनुजा राय (अ.सा.-2) और श्री सुदीप राय (अ.सा.-5) ने स्पष्ट रूप से उस तरीके के बारे में साक्ष्य दिया है जिससे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मृतका को क्रूरता का शिकार बनाया गया था। उनका निवेदन है कि सगाई समारोह के तुरंत पश्चात् अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने टीवी, फ्रिज, कूलर की मांग करनी आरंभ कर दी थी और इसी के अग्रसरण में उन्होंने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थीगण मृतका के साथ मारपीट भी करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। उनका निवेदन है कि मृत्युकालिक कथन की प्रामाणिकता संदेहास्पद है क्योंकि इसके अनुसार मृतका मिट्टी का दीया बुझाने का प्रयास करते समय दुर्घटनावश जल गई थी और यह भी कि उसके कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। उनका निवेदन है कि "मृत्यु से ठीक पूर्व" शब्द का अर्थ प्रत्येक मामले के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में मृतका को प्रारंभ से ही क्रूरता का शिकार बनाया गया था, अतः यह कहा जा सकता है कि उसे मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता का शिकार बनाया गया था। उनका निवेदन है कि सुनील बरन राय (अ.सा.-1), श्रीमती अनुजा राय (अ.सा.-2) और श्री सुदीप राय (अ.सा.-5) के साक्ष्य में मामूली विरोधाभास एवं लोप तुच्छ प्रकृति के होने के कारण अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के लिए कोई सहायता नहीं करते हैं। उनका निवेदन है कि दहेज मृत्यु के मामले में स्वाभाविक अनुक्रम में साक्षी केवल मृतका के संबंधी ही होंगे और ऐसे मामलों में स्वतंत्र साक्षियों की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि नवविवाहित जोड़े के बीच के संबंध बहुत व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रकट नहीं किए जाते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. मृतका के पिता सुनील बरन राय (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उनकी पुत्री का विवाह 29.01.1994 को अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 अर्थात् गौतम चटर्जी के साथ संपन्न हुआ था। काली बाड़ी मंदिर में उनकी पुत्री को देखने के पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 भोक्ति चटर्जी ने अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगा था। तत्पश्चात्, अभियुक्त व्यक्ति प्रतिदिन उनके पास आते थे और अन्य व्यक्तियों से पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपनी सहमति दे

दी। सगाई समारोह से ठीक तीन दिन पूर्व मृत अभियुक्त अर्थात् वी.के. चटर्जी अर्थात् मृतका के ससुर, उनके कार्यालय आए और कहा कि उन्हें विवाह के लिए 15,000 रुपये देने होंगे और इससे पूर्व ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। अपने मित्रों से परामर्श करने के पश्चात् उन्होंने सगाई समारोह के समय 12,000 रुपये और एक सोने की चेन दी, जबकि सगाई के समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 को घड़ी, कोट, पैंट और जूते तथा उसके संबंधियों को अन्य सामग्री दी गई। मांग किए जाने पर उन्होंने पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और शो-केस भी दिया था। विवाह के दस दिन पश्चात् उनकी पुत्री ने उनसे अभियुक्त व्यक्तियों के घर में टेलीफोन लगवाने का अनुरोध किया जैसा कि उनके द्वारा पूछा गया था। उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने अपने दामाद को सूचित किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे टेलीफोन लगवाने की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि वे विवाह के समय अपनी क्षमता के अनुसार राशि पहले ही व्यय कर चुके हैं। विवाह के लगभग 1.5 महीने पश्चात्, मृतक अभियुक्त उनके कार्यालय आया और उनसे बात करने का अनुरोध किया। अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने के पश्चात् वे भिलाई गए जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने शिकायत की कि विवाह में रंगीन टीवी, कूलर और फ्रिज नहीं दिया गया था। विवाह के लगभग 1.5 महीने पश्चात् उनकी पुत्री का देवर उनके घर आया और उनकी पत्नी को बताया कि मृतका खराब चरित्र की थी और बीमार रहती थी और इस प्रकार उपचार के व्यय की मांग की जिस पर उन्होंने उसे 2,000 रुपये दिए। उन्होंने कथन किया है कि प्रथा के अनुसार वे और उनकी पत्नी कभी मृतका के घर नहीं जाते थे लेकिन उनका पुत्र वहां जाता था। उन्होंने कथन किया है कि विवाह के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतका को उनके घर नहीं भेजा। उन्होंने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 रेलवे विभाग में कार्यरत था और वर्धा में पदस्थ था और समय-समय पर वह भिलाई आता था जहाँ मृतका, उसका देवर, सास और ससुर रह रहे थे। मृतका को खराब चरित्र की बताते हुए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा उसे गर्भपात के लिए विवश किए जाने का कथन किया गया है। जब अभियुक्त व्यक्तियों ने उनकी पुत्री को उनके घर छोड़ने का प्रयास किया, तो उनका पुत्र उसे लेने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के घर गया था और उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उसके माथे से सिंदूर पोंछ दिया था और उसके आभूषण उतारने के पश्चात् उसे एक जोड़ी कपड़ों में उसके साथ भेज दिया था। जब मृतका उनके घर आई, तो उसने बताया कि अभियुक्त व्यक्ति उसे मारपीट का शिकार बनाने के पश्चात् अपने घर से बाहर निकाल देते थे। तत्पश्चात्, जब वे अपने कार्यालय के लिए निकले, उनकी अनुपस्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 उनके घर आई और उनकी पत्नी से हाथ जोड़कर निवेदन करने के पश्चात् मृतका को अपने साथ ले गई और फिर उसने उसे कभी उनके घर नहीं भेजा। यह पूछे जाने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर कि अभियुक्त व्यक्ति उसके साथ मारपीट क्यों कर रहे थे, मृतका ने उन्हें बताया कि वह इसका कारण नहीं जानती थी। फिर मृतका ने उन्हें बताया कि दहेज और टेलीफोन लगवाने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही थी। जब वे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर गए, तो अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उन्हें बताया कि मृतका खराब चरित्र की थी और उसकी आदतें अच्छी नहीं थीं। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने विवाह में कुछ भी नहीं दिया था। कहा जाता है कि इस साक्षी ने तब अभियुक्त व्यक्तियों को अपनी पुत्री के साथ मारपीट न करने के लिए कहा था। इस साक्षी के अनुसार, सप्ताह में दो बार उनका पुत्र सुदीप राय (अ.सा.-5) उनकी पुत्री की कुशलक्षेम जानने के लिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर जाता था और वहां से लौटने के पश्चात् उसने उन्हें सूचित किया कि उनकी पुत्री उदास रहती थी और उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह उन्हें यह भी बताता था कि अभियुक्त व्यक्ति मृतका को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इस साक्षी के अनुसार, मृतका के जन्मदिन से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24.11.1994 को वे और उनका पुत्र उसे अपने घर लाने के लिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर गए थे और मृतक/अभियुक्त ने उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी थी और उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी 1 और 3 घर पर नहीं थे। इस साक्षी के अनुसार, उस समय मृतका बहुत उदास थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह अभियुक्तों/अपीलार्थीगण से घिरी हुई थी। उनके घर पहुँचने पर और उनके द्वारा पूछे जाने पर, मृतका ने बताया कि उसका जीवन बर्बाद हो गया था क्योंकि उसे ताने दिए जा रहे थे और अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मारपीट का शिकार बनाया जा रहा था। उस समय, मृतका का कान विकृत था और पूछे जाने पर उसने उन्हें बताया कि उसके पति (अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1) ने इसे मरोड़ दिया था। उसने उन्हें बचाए जाने की गुहार लगाने का भी कथन किया है। फिर उसे सांत्वना देकर, उन्होंने उसे अपने पुत्र के साथ फिर से उसके वैवाहिक घर भेज दिया, जिसने वापस आकर उन्हें सूचित किया कि मृतका के ससुर और ननद उसे अपने वैवाहिक घर भेजने में हुए विलंब के लिए क्रोधित थे। दिनांक 25.12.1994 को जब वे इंदौर से लौटे, तो दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री जल गई थी। घर पहुँचने के तुरंत पश्चात्, वे अपनी पुत्री को देखने के लिए सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई गए। अस्पताल में वे अभियुक्त व्यक्तियों और मृतका से भी मिले जो 85% जल गई थी और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मिट्टी के तेल से जली थी। इस साक्षी के अनुसार, चिकित्सक ने उन्हें बताया था कि मृतका के शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। अभियुक्त व्यक्तियों से उसके जलने का कारण पूछे जाने पर, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसकी मृत्यु की तिथि से 7 दिन पूर्व मृतका ने अस्पताल में उन्हें बताया था कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उसके साथ मारपीट की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी और उन्होंने उसे भोजन नहीं दिया था। उसने उन्हें यह भी बताया कि एक बार अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का भी दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप, वह गिर गई और उस समय अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उस पर कुछ डाल दिया जिसके परिणामस्वरूप उसके कपड़ों में आग लग गई। उसमें आग कैसे लगी, यह उसके द्वारा नहीं बताया गया। तत्पश्चात्, मृतका की ननद आई और उसके शरीर पर पानी डाल दिया और फिर वह बेहोश हो गई। उनकी पुत्री की मृत्यु के पश्चात्, मृत्यु-समीक्षा की सूचना प्रदर्श पी-1 दी गई और तत्पश्चात् प्रदर्श पी-2 के माध्यम से मृत्यु-समीक्षा की गई और इन दोनों दस्तावेजों पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए और फिर उसके शरीर का पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। इस साक्षी ने कथन किया है कि उन्होंने अपनी पुत्री की जली हुई स्थिति के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि उस समय, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सब कुछ उनके सहकर्मियों द्वारा किया गया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या उनके सहकर्मियों द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस साक्षी के अनुसार, उनके पुत्र ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि वह घर में अकेला था। मृतका का जीवन बचाने में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, यह साक्षी भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं जा सका। कंडिका क्रमांक 23 से 28, 33 और 45 में इस साक्षी के कथन में महत्वपूर्ण लोप प्रतीत होते हैं। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि मृतका को अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा गर्भपात के लिए विवश किया गया था। कंडिका-30 में, उन्होंने कथन किया है कि मृतका के जन्मदिन से एक दिन पूर्व जब वे उसे लेने के लिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर गए थे, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 वहां नहीं था और मृतका के ससुर ने उन्हें बताया कि यदि मृतका उनके साथ जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्हें डॉ. एम.सी. जैन और ड्यूटी पर मौजूद अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचित किया गया था कि जब मृतका को अस्पताल लाया गया था, तो उसके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी और वह 85% जल गई थी और इसलिए, उसे बचाया नहीं जा सकता। तथापि, उन्हें याद नहीं था कि क्या यह तथ्य उसका कथन लेखबद्ध करते समय पुलिस को प्रकट किया गया था। कंडिका - 34, 41, 47, 48 और 49 में इस साक्षी को विभिन्न सुझाव दिए गए थे, लेकिन, उसके द्वारा उन सभी से इंकार किया गया है। अपने साक्ष्य की कंडिका-43 में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि मृतका की सगाई के समय कोई मांग नहीं की गई थी। उसके तुरंत पश्चात्, इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सगाई के समय 15,000/- रुपये की मांग की थी। कंडिका-50 में, इस साक्षी ने कथन किया है कि उसे मृतका द्वारा सूचित किया गया था कि जब वह पहली बार अपने ससुराल गई थी तो उसे एक सोने की चेन दी गई थी। कहा जाता है कि इस साक्षी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ 31 जनवरी, 1994 को रिसेप्शन में भाग लिया था। उसने आगे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात्, उनकी पुत्री और दामाद उनके घर आए थे और प्रचलित प्रथा के अनुसार 8 दिनों तक वहां रुके थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि विवाह के तुरंत पश्चात्, मृतका बैंक में नौकरी पाने के लिए किसी परीक्षा में उपस्थित हुई थी। यद्यपि उन्होंने इस तथ्य से इंकार किया है कि मृतका अस्थमा से पीड़ित थी, उसी समय उन्होंने स्वीकार किया है कि उसी बीमारी के लिए, उनकी पुत्री को 06.04.1994 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय, वह गर्भवती थी और 12.04.1994 को, उसे अस्थमा के उपचार के लिए पुनः अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस साक्षी ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि अस्थमा के लिए बनी दवाओं के कारण, उसका गर्भपात हो गया था। उन्होंने अपनी अनभिज्ञता भी व्यक्त की है कि दिनांक 15.04.1994 को उनके भाई के डिस्चार्ज होने के पश्चात्, उसे दिनांक 20.04.1994 को पुनः अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसे रक्तस्राव होने लगा था। उन्होंने अपनी अनभिज्ञता भी व्यक्त की है कि उनकी पुत्री का उपचार डॉ. गुप्ता और डॉ. मिश्रा द्वारा किया गया था और सभी प्रयासों के बावजूद, गर्भपात को टाला नहीं जा सका। कंडिका-58 से 60 में इस साक्षी के समक्ष विभिन्न सुझाव रखे गए लेकिन उनके द्वारा उनसे इंकार कर दिया गया है। कंडिका-61 में, इस साक्षी ने कथन किया है कि पहली बार, उन्होंने दिनांक 22.01.1995 को पुलिस को अपना कथन दिया था और दिनांक 25.12.1994 से, वे नियमित रूप से अस्पताल जा रहे थे और इंदौर से लौटने के 29 दिन पश्चात्, उन्होंने पहली बार पुलिस को अपना कथन दिया है लेकिन उनके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतका द्वारा अपने पति को लिखे गए और अपने पति, ससुर और सास के प्रति प्रेम और स्नेह दर्शाने वाले पत्रों के संबंध में, उन्होंने कथन किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या वे उनकी पुत्री द्वारा लिखे गए थे। उक्त पत्र में, उनकी पुत्री ने उल्लेख किया था कि अस्थमा के कारण, उसके गर्भपात की पूरी संभावना थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्रीमती अनुजा राय (अ.सा.-2) मृतका की माता ने कथन किया है कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 29.1.1994 को अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 गौतम चटर्जी के साथ संपन्न हुआ था। कालीबाड़ी मंदिर में उनकी पुत्री को देखने के पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 - भक्ति चटर्जी ने उसके साथ अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 के विवाह का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और उचित परामर्श के पश्चात् विवाह तय हो गया। विवाह तय होने के समय कोई मांग नहीं की गई थी और सगाई के समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने 15,000 रुपये, सोने की चेन, घड़ी आदि की मांग की थी। तथापि, उन्होंने उक्त मांग को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शायी अंततः 12,000 रुपये में विवाह तय हो गया। चूंकि उनके पति हृदय रोगी थे,

उन्हें उपचार के लिए अपोलो अस्पताल, हैदराबाद ले जाया गया। विवाह के पश्चात्, उनकी पुत्री उनके घर आई और उन्हें सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं और कहा कि वे लड़कियाँ उससे अधिक सुंदर थीं। इस साक्षी के अनुसार, उनका दामाद (अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1) रेलवे में कार्यरत था और वर्धा में पदस्थ था जबकि उनकी पुत्री अपने ससुराल वालों के साथ हुडको (भिलाई) में रह रही थी। विवाह के पश्चात्, मृतका ने दो-तीन बार उनके घर का दौरा करने का कथन किया है और यह भी कि उसके ससुराल वालों ने उसे इसके लिए अनुमति नहीं दी। मार्च 1994 में उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री गर्भवती थी और अभियुक्त/अपीलार्थीगण क्रमांक 1 और 3 यह कहते थे कि वह खराब चरित्र की थी और बच्चा किसी और का था। तत्पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 उनके घर आई और उन्हें बताया कि उनकी पुत्री (मृतका) खराब चरित्र की थी, जिस पर वे अपनी पुत्री को देखने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के घर गईं जहाँ उसे देखकर वे रोने लगीं। मार्च के महीने में उनकी पुत्री उनके घर आई और दो-तीन दिन वहां रुकी और उस समय उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी; वह बहुत कमजोर थी और रोती रहती थी लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। तत्पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 उनके घर आई और उनकी पुत्री (मृतका) को अपने साथ ले गई। जिस समय उनकी पुत्री उनके घर में थी, वे उसे डॉ. शुक्ला के पास ले गई थीं जिन्होंने उन्हें बताया था कि वह (मृतका) गर्भवती थी। चिकित्सक द्वारा उन्हें यह भी बताने का कथन किया गया है कि मृतका को उसके ससुराल नहीं भेजा जाना चाहिए लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 अड़ी रही और उसे अपने साथ ले गई। जब वे अपनी पुत्री को देखने हुडको गई थीं, वह (मृतका) रो रही थी और उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उन्हें बताया था कि विवाह में कूलर, टीवी और एसटीडी फोन नहीं दिया गया था और उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 ने उन्हें यह भी बताया कि उनकी पुत्री (मृतका) अस्थमा से पीड़ित थी यद्यपि विवाह से पूर्व वह काफी स्वस्थ थी। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थीगण उनकी पुत्री को परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे और जब उनका पुत्र अपनी बहन को देखने के लिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर जाता था, तो वह उसे बताती थी कि वह (मृतका) रोती रहती थी और उसने उसे बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसके साथ मारपीट करते थे। मृतका के जन्मदिन के अवसर पर, उनके पति और पुत्र अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को आमंत्रित करने गए थे लेकिन केवल उनकी पुत्री ही उनके घर आई थी वह भी आधे घंटे के लिए लेकिन उस समय उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया। उनके पुत्र ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण मृतका के साथ मारपीट कर रहे थे और फिर वह गया और उसे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर छोड़ दिया।

16 दिसंबर को उनका पुत्र अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर गया था और लौटने पर उसने उन्हें बताया कि मृतका रो रही थी और उससे उसे अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया अन्यथा वे उसे मार डालेंगे। जब वे अपने पति के साथ इंदौर में थीं, उन्हें टेलीफोन पर सूचना मिली कि मृतका जल गई है और फिर वे भिलाई लौट आए लेकिन चूंकि वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं, वे तुरंत अस्पताल नहीं जा सकीं लेकिन उनके पति उसे देखने गए थे और यह वही हैं जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि मृतका 95% जल गई थी। इस साक्षी के अनुसार, उनकी पुत्री की मृत्यु जलने से हुई और उसे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मानसिक और शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इस साक्षी के कथन में कुछ विरोधाभास और लोप प्रतीत होते हैं जो इसके कंडिका 24, 28, 29 और 31 से स्पष्ट है। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि मृतका अस्थमा से पीड़ित थी और उसका उपचार डॉ. उषा शुक्ला द्वारा किया गया था। उन्होंने कथन किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अस्थमा के लिए मृतका को दिनांक 6.4.1994 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

डॉ. स्वर्ण सिंह (अ.सा.-3) कुछ दहेज सामग्रियों की जब्ती और उसकी सूची प्रदर्श पी-3 और पी-4 के साक्षी हैं। उन्होंने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 वर्धा में कार्यरत था और वह छुट्टी की अवधि के दौरान भिलाई आता था। इस साक्षी के अनुसार, विवाह के पश्चात् मृतका अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर में रह रही थी और पड़ोसी होने के नाते उन्होंने कभी नहीं सुना कि वे दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे या उसके साथ मारपीट कर रहे थे।

संदीप दास (अ.सा.-4) विवाह कार्ड, प्रदर्श पी-5 और पी-6 के तहत बनाए गए आभूषणों की एक रसीद की जब्ती के साक्षी हैं। इसी तरह, मृतका का पत्र जो उसके भाई सुदीप राय को संबोधित था, उसे भी जब्त किया गया और इस साक्षी द्वारा प्रदर्श पी-7 के माध्यम से उसका अनुवाद किया गया। उन्होंने कथन किया है कि उक्त पत्र उनकी उपस्थिति में जब्त किया गया था।

सुदीप राय (अ.सा.-5) - मृतका के भाई ने कथन किया है कि विवाह के समय अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी लेकिन सगाई से 1-2 दिन पूर्व उन्होंने 15,000 रुपये की मांग की थी और सगाई के दिन उनके पिता ने 12,000 रुपये नकद, घड़ी, चेन आदि दी थी। विवाह के पश्चात्, उनकी बहन अभियुक्त व्यक्तियों के साथ रहने लगी और तुच्छ बात पर उसे दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति मृतका के साथ

मारपीट करते थे और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते थे। विवाह के लगभग एक सप्ताह पश्चात्, तीन दिनों के लिए मृतका उनके घर आई थी और सूचित किया कि अभियुक्त व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे और उक्त घटना के लगभग डेढ़ महीने पश्चात् जब वह अपनी बहन को लेने गया, तो इस बार वह लगभग एक सप्ताह उनके घर में रही और अपने कष्ट बताए। उसने उसे यह भी सूचित किया कि उसके पति और ससुर उसके साथ मारपीट करते थे और रात में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। जब अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 मृतका को उनके घर से ले जा रही थी, उसने उसे बताया था कि जब उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ दे दिया, तो वे मृतका को क्यों परेशान करते थे जिस पर उसने उसे बताया था कि अब से उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। इस साक्षी के अनुसार, जब भी वह अपनी बहन को देखने के लिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर जाता था, वह डरी हुई रहती थी और अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसे उससे बात करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उसने कथन किया है कि जब राखी के त्योहार पर भी मृतका को उनके घर नहीं भेजा गया, तो उसने उसे एक पत्र लिखा था। 25.11.1994 को उनकी बहन के जन्मदिन पर, वह और उसके पिता अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को आमंत्रित करने गए थे लेकिन जब वे शाम 6-7 बजे तक नहीं आए वह पुनः उसी के लिए उनके पास गया, जिस पर मृतका/अभियुक्त (मृतका के ससुर) ने उसे बताया कि वे नहीं आएंगे और वह अपनी बहन को आधे घंटे के लिए ले जा सकता है। इस साक्षी ने कथन किया है कि चूंकि उसे अपनी बहन को भेजने में थोड़ी देरी हो गई जैसा कि मृतका/अभियुक्त द्वारा कहा गया था, वे क्रोधित हो गए। तत्पश्चात्, जब उसकी चचेरी बहन खैरागढ़ से भिलाई आई और मृतका से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो वह उसे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर ले गया और जब वे उनके घर के पास पहुँचे, तो उसने वहां से रोने जैसी आवाज़ सुनी जैसे कि मारपीट हो रही हो। जब उसने अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 से पूछा कि मामला क्या था, तो उसने उसे बताया कि पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद था और वह उन्हें समझाएगी। उस समय, उसकी बहन ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति उसके साथ मारपीट कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे और उसे घर से बाहर निकाल रहे थे। तत्पश्चात्, घटना के दिन उसे पता चला कि उसकी बहन जल गई थी। यह जानने पर, वह तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल, भिलाई पहुँचा जहाँ मृतका ने उसे सूचित किया कि यदि उसे पहले ले जाया गया होता, तो ऐसी घटना नहीं हुई होती। उसके अनुसार, उसकी बहन 85% जल गई थी और डरी हुई तथा सदमे में प्रतीत हो रही थी। अस्पताल में उसकी बहन ने उससे और उसके पिता से पूछा था कि क्या पानी डालने के कारण कोई आग पकड़ सकता है और तब नर्सों ने बताया था कि पानी डालने से आग तीव्र नहीं होती है। इस साक्षी ने कथन किया है कि उपचार के दौरान दिनांक 4.2.1995 को उसकी बहन की मृत्यु हो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गई। मृत्यु-समीक्षा की सूचना उसे दी गई थी और फिर उसकी उपस्थिति में प्रदर्श पी-2 के माध्यम से मृत्यु-समीक्षा की गई। उसकी बहन द्वारा पहने गए कपड़े प्रदर्श पी-9 के माध्यम से जब्त किए गए और जली हुई साड़ी से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। पुलिस द्वारा आभूषणों की रसीद उससे प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जब्त की गई थी। उसने स्वीकार किया है कि मृतका के पत्र की फोटोकॉपी प्रदर्श पी-7ए बंगाली भाषा में लिखी गई थी और उसका हिंदी अनुवाद प्रदर्श पी-7 है। इस साक्षी के अनुसार, मृतका की लिखावट का मिलान करने के लिए पुलिस द्वारा उसकी अपनी डायरी प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त की गई थी। इस साक्षी के साक्ष्य की कंडिका 18 से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इसकी तुलना उसके केस डायरी कथन प्रदर्श डी-5 से की जाती है तो इसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास और लोप हैं। इस साक्षी द्वारा पुलिस को इस तथ्य के बारे में सूचित करने का कथन किया गया है कि मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा मारपीट का शिकार बनाया गया था लेकिन उसने इस बात से इंकार किया है कि वह किसी बीमारी से पीड़ित थी। इस साक्षी को विभिन्न सुझाव दिए गए थे लेकिन उनमें से अधिकांश से उसके द्वारा इंकार कर दिया गया है। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि अस्थमा के उपचार के लिए मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संत कुमार साहू (अ.सा.-6) पटवारी हैं जिन्होंने नजरी नक्शा (स्पॉट मैप) प्रदर्श पी-11 तैयार किया।

डॉ. (श्रीमती) उषा शुक्ला (अ.सा.-7) ने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 एक बार मृतका के साथ उनके क्लिनिक आई थी। फिर उन्होंने कथन किया है कि मृतका और अभियुक्त उनके क्लिनिक आते थे और वह किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी। विवाह के पश्चात्, मृतका अपनी सास के साथ उनके क्लिनिक आई थी और उस समय उसे दो महीने का गर्भ था जिसे वह गिराना चाहती थी लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था।

डॉ. हरेन्द्र शाह (अ.सा.-8) वे साक्षी हैं जिन्होंने मृतका का चिकित्सीय परीक्षण किया था जब उसे पहली बार अस्पताल लाया गया था और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है। जब मृतका को उनके अस्पताल लाया गया था, तो वह 85% जल गई थी और उसे प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था।

जी.आर. राठौर (अ.सा.-9) तहसीलदार हैं जिन्होंने प्रदर्श पी-2 के माध्यम से मृतका के शरीर पर मृत्यु-समीक्षा की।

डी.एस. राठौर (अ.सा.-10) वे साक्षी हैं जिन्होंने सेक्टर 9 अस्पताल, भिलाई से प्रदर्श पी-9 के माध्यम से नाइटी, पेटीकोट, जली हुई साड़ी के टुकड़े आदि कुछ सामग्रियों की जब्ती की। इस साक्षी के अनुसार, जब्त किए गए कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी।

बीना खिरवट (अ.सा.-11) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका क्रमांक 25 में, इस साक्षी ने कथन किया है कि उन्होंने केस डायरी पढ़ी जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी श्री ठाकुर द्वारा लेखबद्ध मृतका का मृत्युकालिक कथन संलग्न था। उन्होंने कथन किया है कि चालान प्रस्तुत करते समय उन्होंने उक्त दस्तावेज़ के बारे में उल्लेख किया था लेकिन वह यह नहीं बता सकतीं कि उसे प्रस्तुत किया गया है या नहीं। उन्होंने कथन किया है कि उन्हें याद नहीं था कि उक्त मृत्युकालिक कथन की अंतर्वस्तु क्या थी। उन्होंने कथन किया है कि साक्षियों की सूची में मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने वाले कार्यपालक दंडाधिकारी के नाम का कोई उल्लेख नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एम.सी. मोहणोत (अ.सा.-12) वे साक्षी हैं जिन्होंने प्रदर्श पी-24 के माध्यम से मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम परीक्षण किया और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण जलने के कारण सेप्टीसीमिया था।

एस. जोनाथन (अ.सा.-13) वे साक्षी हैं जिन्होंने कथन किया है कि भा.दं.सं. की धारा 309 के अंतर्गत अपराध के संबंध में अपराध क्रमांक 587/1994 की विवेचना करते समय, उन्होंने मृतका के पिता और भाई का कथन लेखबद्ध किया और उसी के आधार पर और अन्य परिस्थितियों में, दिनांक 20.1.1995 को उनके द्वारा प्रदर्श पी-25 के माध्यम से भा.दं.सं. की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध क्रमांक 39/1995 दर्ज किया गया था। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्पष्ट किया है कि भा.दं.सं. की धारा 309 के अंतर्गत अपराध मृतका के संबंध में था। उन्होंने इस तथ्य से इंकार किया है कि मृतका के उक्त मृत्युकालिक कथन के आधार पर उन्होंने भा.दं.सं. की धारा 309 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया। उन्होंने कथन किया है कि प्रभारी अधिकारी ने मृतका के मृत्युकालिक कथन के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 309 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया हो सकता है और फिर विवेचना उन्हें दे दी गई।

जे.के. दास (अ.सा.-14) ने कथन किया है कि मृतका के पिता उन्हें परिचित थे क्योंकि वे उनके कार्यालय में कार्यरत थे। वे अभियुक्त व्यक्तियों को भी जानते थे और यह कि विवाह के समय उनके द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी। उनके अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 अपनी पदस्थापना के स्थान पर निवास कर रहा था जबकि मृतका अपने ससुराल वालों के साथ हुडको में अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। विवाह के 7-8 महीने पश्चात् तक मृतका काफी ठीक थी। इस साक्षी ने कथन किया है कि उन्हें मृतका के पिता द्वारा बताया गया था कि अभियुक्त व्यक्ति रंगीन टीवी और स्कूटर की मांग कर रहे थे जिस पर उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे ऐसी स्थिति में हों तो उसे दे दें या उसके लिए मना कर दें। मृतका के पिता द्वारा उन्हें यह बताने का कथन किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण मृतका के चरित्र पर संदेह कर रहे थे। उनके अनुसार वे एक बार अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर गए जहाँ मृतका ने उन्हें बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसे अपनी पसंद की वस्तुओं की खरीदी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे जिस पर उन्होंने मृतका को समझाया था और अपने ससुराल वालों की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा था। मृतका के भाई के माध्यम से मृतका के जलने की सूचना प्राप्त होने पर, वे उसे देखने के लिए सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई गए लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। घटना के तीन दिन पश्चात् उन्होंने मृतका के ससुर से बात की और जब उन्होंने घटना के पीछे का कारण पूछा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि मिट्टी का दीया जलाते समय वह जल गई थी। यद्यपि मृतका का लगभग एक महीने तक सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई में उपचार किया गया, वह ठीक नहीं हो सकी और उसे आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी को मृतका के अंतिम संस्कार में भाग लेने का भी कथन किया गया है और प्रथा के अनुसार नश्वर अवशेषों को पानी में विसर्जित किया जाता है लेकिन मृतका के मामले में उनके द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद उसके पति द्वारा ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं किया गया और अंततः यह उसके भाई द्वारा किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतका के श्राद्ध में भी भाग नहीं लिया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की इन सभी गतिविधियों को देखकर, उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि या तो मृतका ने आत्महत्या की होगी या उसे एक सुव्यवस्थित तरीके से जलाया गया होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

महादेव (ब.सा.-1) ने कथन किया है कि प्रासंगिक समय में वे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (विद्युत) मध्य रेलवे, नागपुर के कार्यालय में कार्यरत थे और यह कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 अर्थात् गौतम चटर्जी उक्त विभाग में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। दिनांक 19.12.1994 को या उसके आसपास, अभियुक्त/अपीलार्थी गौतम चटर्जी ड्यूटी पर था और दिनांक 20.12.1994 को,

नियंत्रण कार्यालय से एक संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी पत्नी गंभीर थी और फिर वह छुट्टी पर चला गया।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 के साथ दिनांक 29.1.1994 को संपन्न हुआ था और एक वर्ष से भी कम समय में 80% जलने के पश्चात् संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात् मृतका का मृत्युकालिक कथन दिनांक 20.12.1994 को लेखबद्ध किया गया था लेकिन अभियोजन को भली-भांति ज्ञात कारणों से इसे आरोप पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया और अंततः इस न्यायालय के हस्तक्षेप पर उसी की प्रति अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को तामील की गई। सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई में लेखबद्ध किए गए मृत्युकालिक कथन में मृतका द्वारा यह कथन किया गया है कि वह सत्य बता रही थी; कि उसके पति का नाम गौतम चटर्जी है; कि वह हुडको में निवास कर रही थी; कि उसका पति नागपुर में कार्यरत था; कि वह अपने ससुर, सास और ननद के साथ निवास कर रही थी; और कि उसकी सास का नाम भोक्ति चटर्जी, ससुर का नाम वी.के. चटर्जी और ननद का नाम पिंकी था। उसने मृत्युकालिक कथन में आगे कथन किया है कि दिनांक 19.12.1994 को जब वह मिट्टी का दीया बुझाने गई थी, तो उसकी साड़ी में उससे आग लग गई और जब वह सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसे पता चला कि उसकी साड़ी में आग लग गई थी और फिर डर के कारण वह अपनी सास और ननद के लिए चिल्लाई जिन्होंने पानी और बोरी की सहायता से आग बुझाई। उसने अपने मृत्युकालिक कथन में आगे कथन किया है कि उसे तुरंत अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और यह केवल एक दुर्घटना थी और इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं था। यद्यपि यह मृत्युकालिक कथन विचारण के समय प्रस्तुत और प्रदर्शित नहीं किया गया है, बचाव पक्ष अभिलेख का भाग होने वाले किसी भी दस्तावेज़ का उपयोग करने का हकदार है। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और लागू विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यद्यपि मृत्युकालिक कथन विचारण में प्रदर्शित या साबित नहीं हुआ है, फिर भी बचाव पक्ष द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है यदि यह अभियुक्त के पक्ष में है। अभियोजन द्वारा तात्विक दस्तावेज़ को छिपाने के मामले में न्यायालय के लिए यह उपधारणा करना खुला है कि रोक कर रखा गया कथन यदि प्रस्तुत किया जाता तो अभियोजन के प्रतिकूल हो जाता और इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कथन को प्रस्तुत न करने से अभियुक्त पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कथन या तात्विक दस्तावेज़ प्रदान न करने के कारण, अभियुक्त को अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। **लल्लू सिंह वल्द जगदीश सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के लगभग समान मामले

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में जो **1996 (0) एम.पी.एल.जे. 452** में न्यायदृष्टांत है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "5. हमें अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की ओर ले जाया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी/नायब तहसीलदार, उज्जैन द्वारा लेखबद्ध मृत्युकालिक कथन चालान के साथ प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन विचारण के दौरान उसे साबित नहीं किया गया। तथापि, इसे अभियुक्त के अधिवक्ता के अनुरोध पर पेपर बुक में लिया गया है। इसी तरह, अभियुक्त की चोट की रिपोर्ट भी साबित नहीं की गई थी, लेकिन अभियुक्त-अपीलार्थी के अनुरोध पर पेपर बुक में ली गई थी।
>
> 6. हम अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य को रोकने की अभियोजन की पद्धति की निंदा करते हैं। अभियोजक एक 'राज्य' है और इसलिए, अभियोजन को अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष होना चाहिए और यह न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह अपने समक्ष या संबंधित न्यायालय के समक्ष साबित तथ्यों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँचे। लेकिन, मृत्युकालिक कथन के दस्तावेज़ के औपचारिक प्रमाण के अभाव के बावजूद, इसका उपयोग अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किया जा सकता है, अभियुक्त बिना प्रमाण के भी दस्तावेज़ का लाभ उठा सकता है। इसी तरह, अभियुक्त के शरीर पर चोटों को दर्शाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का उपयोग भी अभियुक्त द्वारा औपचारिक प्रमाण के अभाव के बावजूद किया जा सकता है।
>
> 7. यद्यपि यह वांछनीय है कि यदि अभियोजन उस दस्तावेज़ को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है; कि अभियुक्त को न्यायालय के माध्यम से साक्षियों को आहूत करना चाहिए और दस्तावेज़ साबित करना चाहिए। तथापि, भले ही इस औपचारिकता का पालन नहीं किया गया हो, चूंकि दस्तावेज़ अभिलेख का भाग है और पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा हमेशा अभियुक्त के लाभ के लिए विचार में लिया जा सकता है।"

10. दिनांक 20.12.1994 के विस्तृत मृत्युकालिक कथन में मृतका ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि 19.12.1994 को वह दुर्घटनावश जल गई थी। मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए, अभियुक्त अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. वर्तमान मामले में घटना दिनांक 19.12.1994 को हुई थी और मृतका की मृत्यु दिनांक 4.2.1995 को हुई। यद्यपि मृतका 45 दिनों से अधिक समय तक जीवित रही, अभियोजन ने उसका कथन लेखबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया और यहाँ फिर से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है विशेषकर जब सुनील बरन राय (अ.सा.-1) और श्रीमती अनुजा राय (अ.सा.-2) के केस डायरी कथन दिनांक 22.1.1995 को लेखबद्ध किए गए थे जबकि सुदीप राय (अ.सा.-5) का केस डायरी कथन दिनांक 30.1.1995 को लेखबद्ध किया गया था और यदि इन साक्षियों के कथनों में यह बात आई थी कि मृतका को अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था, तो पुलिस मृतका का कथन लेखबद्ध कर सकती थी। भा.दं.सं. की धारा 498-ए के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 पुलिस द्वारा मृतका के विरुद्ध दर्ज भा.दं.सं. की धारा 309 के अंतर्गत मामले की विवेचना करते समय दर्ज की गई है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.1.1995 को मृतका के पिता और भाई के कथनों के आधार पर दर्ज की गई थी। तथापि, अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है यद्यपि इसके द्वारा इन कथनों पर अवलंब लिया गया है। अभियोजन के अनुसार, मृतका के पिता और भाई द्वारा दिनांक 20.1.1995 से पूर्व कथन दिए गए थे लेकिन मृतका के पिता (अ.सा.-1) ने न्यायालय में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पहली बार पुलिस द्वारा उनका कथन दिनांक 22.1.1995 को लेखबद्ध किया गया था। एक बार जब दिनांक 20.1.1995 को भा.दं.सं. की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया था, मृतका दिनांक 4.2.1995 तक जीवित थी, उसका कथन पुनः लेखबद्ध न करना अभियोजन की निष्पक्षता के बारे में संदेह उत्पन्न करता है। अभियोजन ने आगे प्रदर्श पी-7 - मृतका द्वारा अपने भाई को लिखे गए पत्र का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत और साबित किया है। यह पत्र मृतका द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के आसपास कहीं लिखा गया प्रतीत होता है लेकिन इसमें दहेज की मांग या क्रूरता का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि दहेज की मांग के लिए मृतका को क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि "मृत्यु से ठीक पूर्व" शब्द का वर्णन करने के लिए कोई एक निश्चित सूत्र तय नहीं किया जा सकता है और यह एक सापेक्ष शब्द होने के नाते प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यहां तक कि रक्षाबंधन के त्योहार के आसपास मृतका द्वारा लिखे गए पत्र प्रदर्श पी-7 के अंग्रेजी अनुवाद में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के लिए उसके प्रति क्रूरता का कोई आरोप समाहित नहीं है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध आगे यह आरोप है कि उन्होंने एसटीडी फोन लगवाने की मांग की थी लेकिन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध यह आरोप भी सामान्य प्रकृति का है। सुनील

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बरन राय (अ.सा.-1) के कथन के अनुसार विवाह के लगभग डेढ़ महीने पश्चात् मृतका-अभियुक्त ने उन्हें घर बुलाया और अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 3 भोक्ति चटर्जी ने उन्हें बताया कि विवाह में रंगीन टीवी, स्कूटर और फ्रिज नहीं दिए गए हैं। यहां भी इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि इन सभी वस्तुओं की मांग अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा की गई थी। यहां तक कि अनुजा राय (अ.सा.-2) - मृतका की माता के कथन से यह प्रतीत नहीं होता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग के लिए परेशान किया गया था या क्रूरता का शिकार बनाया गया था।

10. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 भिलाई में निवास नहीं कर रहा था बल्कि वर्धा में सेवारत था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह बार-बार भिलाई आता था और मृतका को परेशान करता था। सुनील बरन राय (अ.सा.-1), अनुजा राय (अ.सा.-2) और सुदीप राय (अ.सा.-5) द्वारा केवल सामान्य आरोपों के आधार पर ही जहां उन्होंने "अभियुक्त व्यक्तियों" शब्दों का प्रयोग किया है, इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 ने भी मृतका को क्रूरता का शिकार बनाया विशेष रूप से तब जब उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इस प्रकार अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध केवल सामान्य आरोपों के आधार पर, इस न्यायालय के लिए आक्षेपित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेखबद्ध उनकी दोषसिद्धि को कायम रखना सुरक्षित नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. इस प्रकार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा तथा कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**